न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिक्री 07/2020
पंजीयन दिनांक 29.01.2020

(1). मोहम्मद करीम पिता मोहम्मद रफीक मंसूरी निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांट

बनाम

(1). वहीद खां पिता सत्तार खां जाति मुसलमान मृतक के बजाय-

1/1. अब्दुल हमीद पिता अब्दुल वहीद जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

1/2. आबिद खां पिता अब्दुल वहीद जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

1/3. बीवी पुत्री अब्दुल वहीद पत्नी अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

1/4. शमीम पुत्री अब्दुल वहीद पत्नी सईद खां जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

1/5. मुन्नी पुत्री अब्दुल वहीद पत्नी हनीफ खां जाति मुसलमान निवासी भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(2). उल्फत बेगम पिता सत्तार खां पत्नी वजीर मोहम्मद मृतक के बजाय-

2/1. नासिर खां पिता वजीर खां जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

2/2. नासिर खां पिता वजीर खां जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

2/3. अजीज अहमद खां पिता वजीर खां जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

2/4. खातुन बेगम पिता वजीर खां पत्नी रशीद खां मृतक के बजाय-

2/4/1. मोहम्मद रफीक पिता रशीद खां जाति मुसलमान निवासी इन्द्रा कॉलोनी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

2/4/2. मोहम्मद शकील पिता रशीद खां जाति मुसलमान निवासी इन्द्रा कॉलोनी तहसील निम्बाहेड़ा।

2/5. आमना बेगम पिता वजीर खां पत्नी बहादुर खां जाति मुसलमान निवासी जामा मस्जिद के पास निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

2/6. आयशा बेगम पिता वजीर खां जाति मुसलमान निवासी जामा मस्जिद के पास निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

(3). बानो पिता सत्तार खां पत्नी नन्ने खां जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(4). गुलफाम पिता अब्दुल गनी खां जाति मुसलमान मृतक के बजाय-

4/1. खातुन पिता गुलफाम जाति मुसलमान निवासी बापु बस्ती, बाजे वालो की गली निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

4/2. फारूख पिता गुलफाम जाति मुसलमान निवासी बापु बस्ती, बाजे वालो की गली निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

4/3. जाहिद पिता गुलफाम जाति मुसलमान निवासी बापु बस्ती, बाजे वालो की गली निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

4/4. शाहिद पिता गुलफाम जाति मुसलमान निवासी बापु बस्ती, बाजे वालो की गली निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

4/5. सईद पिता गुलफाम जाति मुसलमान निवासी बापु बस्ती, बाजे वालो की गली निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

4/6. वाहिद पिता गुलफाम जाति मुसलमान निवासी बापु बस्ती, बाजे वालो की गली निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

4/7. नीलोफर पिता गुलफाम जाति मुसलमान निवासी बापु बस्ती, बाजे वालो की गली निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

4/8. नूरी पिता गुलफाम जाति मुसलमान निवासी बापु बस्ती, बाजे वालो की गली निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(5). अजीज खां पिता अब्दुल गनी खां मृतक के बजाय-

5/1. युसूफ पिता अजीज खां जाति मुसलमान निवासी ईशाकाबाद निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

5/2. जोवद पुत्र अजीज खां जाति मुसलमान निवासी ईशाकाबाद निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(6). सरदार खां पिता मुनीर खां जाति मुसलमान मृतक के बजाय-

6/1. रुकैया बानो पत्नी सरदार खां जाति मुसलमान निवासी कसाई मोहल्ला निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

6/2. सरफराज पिता सरदार खां जाति मुसलमान निवासी कसाई मोहल्ला निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

6/3. सद्दाम पिता सरदार खां जाति मुसलमान निवासी कसाई मोहल्ला निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

6/4. सब्बो पुत्री सरदार खां जाति मुसलमान निवासी कसाई मोहल्ला निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

6/5. सुलताना पुत्री सरदार खां जाति मुसलमान निवासी कसाई मोहल्ला निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(7). बुंदो बेगम बेवा बाबु खां जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(8). लतीफ खां पिता सत्तार खां जाति मुसलमान मृतक के बजाय-

8/1. हनीफ पिता लतीफ खां जाति मुसलमान मृतक के बजाय-

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

8/1/1. जाकिर पिता हनीफ जाति मुसलमान निवासी मेवाती मोहल्ला, डॉ ऑफिस के पास निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

8/1/2. मोहम्मद पिता हनीफ जाति मुसलमान निवासी मेवाती मोहल्ला, डॉ ऑफिस के पास निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

8/1/3. निसार पिता हनीफ जाति मुसलमान निवासी मेवाती मोहल्ला, डॉ ऑफिस के पास निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

8/2. अनवर पिता लतीफ खां जाति मुसलमान निवासी कच्ची बस्ती निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

8/3. फरीदा बी पुत्री लतीफ खां पत्नी इकबाल खां जाति मुसलमान निवासी कच्ची बस्ती निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

8/4. फिरदोस पिता लतीफ खां पत्नी मुनीर अली जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा हाल कच्ची बस्ती, काली मूर्ति के पास उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।

8/5. नजमा पुत्री लतीफ खां पत्नी बाबु खां जाति मुसलमान निवासी कच्ची बस्ती निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

8/6. अल्लादी पुत्री लतीफ खां पत्नी मेहमूद खां जाति मुसलमान निवासी कच्ची बस्ती निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

8/7. परवीन पुत्री लतीफ खां पत्नी हफीज खां जाति मुसलमान निवासी कच्ची बस्ती निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(9). अख्तर बेगम पुत्री अब्दुल गनी खां पत्नी फकीर मोहम्मद मृतक के बजाय–

9/1. परवीन पुत्री फकीर मोहम्मद पत्नी रफीक खां जाति मुसलमान निवासी इन्द्रा कॉलोनी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

9/2. अकबर खां पिता फकीर मोहम्मद खां जाति मुसलमान निवासी इन्द्रा कॉलोनी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

9/3. चांद खां पिता फकीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी इन्द्रा कॉलोनी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

9/4. असलम खां पिता फकीर मोहम्मद खां जाति मुसलमान निवासी इन्द्रा कॉलोनी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

9/5. नसरीन पिता फकीर मोहम्मद खां जाति मुसलमान निवासी इन्द्रा कॉलोनी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(10). शमशाद बेगम पुत्री अब्दुल गनी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(11). जाहिदा पुत्री बाबु खां पत्नी सलीम खां जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(12). राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा
प्रकरण संख्या 480/2018 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.01.2019

उपस्थित वक्त बहस-(1). छोगालाल जाट-अधिवक्ता अपीलांट
(2). सुरेन्द्र कुमार ओझा- अधिवक्ता रेस्पो0 सख्या 6/1 से 6/5
(4). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 12

निर्णय **दिनांक 01.09.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53, 188 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा जावदा तहसील निम्बाहेड़ा की साबिक आराजी संख्या 1189/2 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा भूमि अवस्थित है, जो पहले बाबू खां पिता सत्तार खां मुसलमान के नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज थी। खातेदार बाबू खां का इन्तकाल करीब 20 वर्ष पूर्व हो चुका है। उक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर विरासत से दर्ज हुई है। बाबू खां ने अपने जीवनकाल मे ही उक्त कृषि आराजीयात दिनांक 17.05.1967 को 1500 रूपये पेटे खातेदार बाबू खां ने सत्तार खां वल्द छोटे खां को विकय कर दी और इसी दिनांक को बाबू खां ने विकय पत्र सत्तार खां को लिखकर दिया और मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया । वादपत्र मे सत्तार खां के परिवार का सजरा खानदान प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 सत्तार खां के वारिसान है। सत्तार खां की मृत्यु के वक्त वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 उनके वारिस मुस्लिम विधि के अनुसार बनते है। दिनांक 17.05.1967 से उक्त कृषि भूमि सत्तार खां ने बाबू खां से खरीद ली थी तभी से सत्तार खां मालिक हो गया था। उसके मरने के बाद यह भूमि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 को प्राप्त हुई सत्तार खां के इन्तकाल के वक्त गनी खां, वहीद खां, लतीफ खां उनके तीन लड़के मौजूद थे उसमे से गनी खां की मौत सत्तार खां के मरने के दो साल बाद अर्थात आज से लगभग 8 वर्ष पूर्व हुई। विवादित कृषि आराजीयात मे सत्तार खां के मरने के बाद गनी खां, वहीद खां और लतीफ खां का लड़के होने की वजह से दुगुना हिस्सा व बानो व उल्फत लड़कियां होने की वजह से एक हिस्सा बनता है। मुस्लिम विधि के सुन्नी फिरके के अनुसार बानो और उल्फत का प्रत्येक का 1/8 हिस्सा तथा गनी खां, वहीद खां व लतीफ खां प्रत्येक का 2/8 हिस्सा विवादित कृषि आराजीयात मे सत्तार खां के मरने के बाद बनता है। गनी खां की मृत्यु हो चुकी है

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

व इनका 2/8 हिस्सा वादीगण संख्या 4 व 5 तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 प्राप्त करने के अधिकारी है। इसी प्रकार वादी संख्या-1 2/8 प्रतिवादी संख्या-2 2/8 तथा वादी संख्या-3 1/8 , वादी संख्या-2 1/8 हिस्सा सत्तार खां की खरीदशुदा जमीन मे प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 बाबू खां की बेवा है जिसने गलत तरीके से राजस्व कर्मचारियो से मिलकर उक्त कृषि भूमि अपने नाम दर्ज करा ली जो मुस्लिम विधि के अनुसार गलत व कानून के खिलाफ है। चूकि प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व अभिलेखो मे भी अंकित है, इसकी आड लेकर उपरोक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। प्रतिवादी संख्या 1 का विवादित भूमि मे बाबू खां के द्वारा सत्तार खां को उक्त भूमि विक्रय कर देने के बाद कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहता है फिर भी बिना किसी कानूनी अधिकार के जबरन उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। अन्त मे विवादित कृषि आराजीयात की घोषणा व प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की दाद चाही गई।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 वादीगण की ओर से वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बुन्दो बेगम की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसमे विवादित कृषि आराजीयात साबिक आराजी संख्या 1189/2 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा मौजा जावदा तहसील निम्बाहेड़ा मे होना स्वीकार किया व जवाबदावे मे यह निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजीयात बाबू खां को सरकार से सन 1963 मे आवंटित हुई है व आवंटन से उक्त कृषि आराजीयात बाबू खां के नाम सन 1963 मे गैर खातेदारी मे दर्ज हुई । उक्त कृषि आराजीयात सन् 1973 मे गैर खातेदारी से खातेदारी मे दर्ज की गई। जिससे वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 का यह कथन कि सन् 1967 मे बाबू खां ने उक्त आराजीयात अपने पिता सत्तार खां को विक्रय कर दी है पूर्णतया गलत है। तथाकथित बहनामा फर्जी व बनावटी है। उक्त बहनामे के अनुसार वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 किसी प्रकार की घोषणा कराये जाने के अधिकारी नहीं है। जवाबदावे मे यह भी अंकित किया कि दावे के साथ तथाकथित बहनामा दिनांक 17.05.1967 झूठा व फर्जी बनाया गया है। इस बहनामे की फर्जी होने की ताईद इससे भी होती है कि स्वयं सत्तार खां ने मेरे पिता मुनीर खां के विरुद्ध इसी कृषि भूमि से संबंधित वादपत्र दिनांक 04.10.1972 को पेश किया था यह दावा धारा 88, 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का होकर प्रकरण संख्या 212/1972 के रूप मे दर्ज हुआ व इस दावे की कलम संख्या 2 मे स्वयं सत्तार खां ने अपने टाईटल के बारे मे अंकित किया कि बाबू खां वादी का हकीकी लड़का था और वादी के शरीक रहता था। आराजी मुतदाविया पर वादी व उसके लड़के बाबू खां का कब्जा चला आ रहा था। बाबू खां के इन्तकाल अरसा 13 साल का हुआ और

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उसके शरीक हाल रहने की वजह से व उसके कोई लड़का नहीं होने से वादी कानूनन उसका वारिस है। बाबू खां के मरने के बाद अकेला काबिज चला आ रहा है। इस प्रकार से इस दावे मे स्वयं सत्तार खां अपने अधिकार विरासत से बताता है। और इसमे तथाकथित बहनामे दिनांक 17.05.1967 का कोई जिक नहीं है। यह दावा दिनांक 04.10.1972 को पेश हुआ और इस मौजूदा दावे मे बयनामे की तारीख 17.05.1967 बताई जाती है। यदि कोई बयनामा सत्तार खां के पक्ष मे था तो सत्तार खां की जानकारी मे भी होना चाहिए था। यदि ऐसा होता तो वह उसी आधार पर मुनीर खां के खिलाफ दावा लाते किन्तु स्वयं सत्तार खां ने मुनीर खां के विरुद्ध दावे मे अपने टाईटल का आधार दिनांक 17.05.1967 के बयनामे को आधारभूत नहीं माना है। इससे स्पष्ट है कि यह बयनामा वादी व उसके साथ किसी ने शरीक रहकर एक रूपये के पुराने खाली स्टाम्प पर फौरजरी करके तैयार किया है। विकल्प मे यह भी तर्क दिया कि इस प्रकार के बयनामे जो कमी स्टाम्प व अपंजीकृत हो और उनके जरिये से कोई अचल सम्पत्ति को हस्तांतरित किया गया हो तो उसकी कानून मे कोई वक्त नहीं होती है। और वह साक्ष्य मे ग्राह नही है। इन परिस्थितियों मे इस फर्जी दस्तावेज बनाने और बनवाने या इसके साथ रहकर सहयोगी लोगो के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कराने के अधिकारी है ।

उक्त आशय का जवाबदावा प्रतिवादिया संख्या 1 बुन्दो की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दावा जवाबदावा के अनुसार वादपत्र मे तनकीयात कायम की गई। व उभयपक्षो की साक्ष्य लिवायी जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 की ओर से दिनांक 11.05.2015 को अपीलांट को पक्षकार मुकदमा कायम किये जाने का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट को प्रतिवादी संख्या 7 के रूप मे पक्षकार मुकदमा कायम किया गया। उभयपक्षो की साक्ष्य लिवायी जाकर उक्त पत्रावली मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 02.11.2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र का तनकीवार निस्तारण करते हुए तनकी संख्या 1 से 4 को निर्णित करते हुए कि विवादित कृषि भूमि बाबू खां को विधिवत रूप से आवंटित की गई थी। बाबू खां की मृत्यु के उपरांत उनकी बेवा प्रतिवादिया संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है । जिस कथित विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 विवादित भूमि मे अपना हक व हिस्सा होना बताते है उसको साबित करने मे पूर्णतया असफल रहे है। अपंजीकृत व कमी स्टाम्प दस्तावेज के आधार पर रेकॉर्डेड खातेदार को विधिक प्रकिया से प्राप्त स्वत्व अधिकार निरस्त नहीं किये जा सकते है। जिससे वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 अपना

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वादपत्र साबित करने मे पूर्णतया असफल रहना मानते हुए वादपत्र को निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.11.2016 से रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 वादीगण ने असंतुष्ट होकर इस न्यायालय मे प्रथम अपील कमांक डिक्री 50/2017 प्रस्तुत की जो इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 14.03.2018 को स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तनकीवार पुनः निर्णय पारित करे। जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 09.07.2008 को अपील न्यायालय के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.07.2018 नियत की गई। जिस पर बिना नोटिस जारी किये प्रतिवादी संख्या 2/4 को छोड़कर अन्य प्रतिवादीगण के विरुद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहना बताते हुए एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत की गई व दिनांक 19.12.2018 को पुनः तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी मे नियत की गई। साक्ष्य वादी गवाहान के शपथ पत्र लिये जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 08.01.2019 नियत की गई। दिनांक 08.01.2019 को रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 वादीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की जाकर दिनांक 28.01.2019 को निर्णय पारित करते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए विवादित कृषि आराजीयात मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 का संयुक्त रूप से 5/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 6 का संयुक्त रूप से 1/6 हक हिस्सा घोषित किया जाकर उक्त विवादित कृषि आराजीयात मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 का 5/6 हक हिस्सा पारिवारिक सहमति व वसीयत दिनांक 07.02.2000 के आधार पर वादी संख्या 6 सरदार खां पिता मुनीर खां के नाम दर्ज किये जाने व शेष 1/6 हक हिस्सा संयुक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 7 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील इस न्यायालय मे म्याद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत की है।

इस न्यायालय मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण वादीगण व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 6/1 से 6/5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट संख्या 12 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुये। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट प्रतिवादी संख्या 7 ने अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की । म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलांट प्रार्थी की बिना तामील किये एकतरफा कार्यवाही की जाकर दिनांक 28.01.2019 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित की है जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 22.01.2020 को हुई है। जिसकी प्रमाणित प्रति दिनांक 24.01.2020 को प्राप्त की उसके पश्चात विधि सलाहकार से राय प्राप्त कर बाद जानकारी अंदर म्याद पेश है। उक्त प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना-पत्र का रेस्पोडेन्टगण की ओर से किसी प्रकार का लिखित जवाब प्रस्तुत नही किया गया। प्रार्थना-पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व विधि सम्मत होने से अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से प्रस्तुत अपील अंदर म्याद मानी जाती है।

अधिवक्ता अपीलांट प्रतिवादी संख्या 7 ने इस न्यायालय मे दिनांक 24.06.2022 को लिखित बहस प्रस्तुत की जिसकी प्रति अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण को दिलाई गई लिखित बहस व अपील मे अधिवक्ता अपीलांट प्रतिवादी संख्या 7 ने यह निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 वादीगण की ओर से अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर किसी भी स्थिति मे वादपत्र साबित नहीं होता है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 02.11.2016 को रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 वादीगण का वादपत्र अपंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर साबित नहीं होना मानते हुए वादपत्र को निरस्त किया गया जिससे असंतुष्ट होकर रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 वादीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की जो अपील इस न्यायालय के द्वारा अपील क्रमांक डिक्री 50/2017 पंजीबद्ध की गई है उक्त अपील मे अपीलांट जिसको अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.05.2015 को पक्षकार मुकदमा कायम कर लिया था फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय के अनुवान मे अपीलांट को प्रतिवादी कायम नही करते हुए निर्णय पारित कर दिया। उसी निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 वादीगण ने इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की जिसमे

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

भी अपीलांट को पक्षकार मुकदमा कायम नही किया गया व अपीलांट को बिना पक्षकार मुकदमा कायम किये दिनांक 14.03.2018 को रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 वादीगण ने अपीलांट की अनुपस्थिति मे अपील स्वीकार करवाकर प्रतिप्रेषित करायी गई है व अपीलांट को बिना सुने अपीलांट की अनुपस्थिति मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे तनकी संख्या 9 व 10 प्रतिप्रेषित आदेश की पालना मे कायम की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय से वादपत्र को डिकी करवाया गया है। अपीलांट ने विवादित कृषि आराजीयात जरिये पंजीकृत बहनामा दिनांक 13.11.2006 को विवादित कृषि आराजीयात के खातेदार जाहिदा व बुन्दो बेगम से क्रय कर अपने नाम दर्ज करवाई है व पंजीकृत बयनामे से खरीदशुदा आराजीयात पर अपीलांट खरीद दिनांक 13.11.2006 से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पंजीकृत बहनामे को मान्यता नहीं दी जाकर अपंजीकृत व कमी स्टाम्प के आधार पर अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर वादपत्र को डिकी किया है। जबकि रेस्पोडेन्टगण वादीगण का वादपत्र किसी भी स्थिति मे प्रदर्श 2ए जो अपंजीकृत हे, के आधार पर प्रमाणित नहीं था। विवादित कृषि आराजीयात बाबू खां पिता सत्तार खां की आवंटनशुदा भूमि होकर बाबू खां ने अपने जीवनकाल मे उक्त कृषि आराजीयात को कभी भी सत्तार खां को विक्रय नहीं की थी। फिर भी सत्तार खां के इन्तकाल के 10 वर्ष बाद सत्तार खां के वारिसान ने वादपत्र प्रस्तुत किया कि उक्त विवादित कृषि आराजीयात दिनांक 17.05.1967 को सत्तार खां को विक्रय की । सत्तार खां का स्वर्गवास हो चुका है। रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 वादीगण सत्तार खां के वारिस है। वादपत्र प्रस्तुत किये जाने से 16 वर्ष पूर्व बाबू खां का स्वर्गवास हो चुका था। उक्त कृषि आराजीयात बाबू खां के वारिस के नाम पर दर्ज की जा चुकी थी। बाबू खां के वारिसों ने उक्त कृषि आराजीयात अपनी खातेदारी मे होने से दिनांक 13.11.2006 को जरिये पंजीकृत बहनामा अपीलांट प्रतिवादी संख्या 7 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। खरीद दिनांक से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 7 उक्त कृषि आराजीयात का खातेदार होकर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। अपीलांट को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 वादीगण ने पक्षकार मुकदमा बनाये जाने का प्रार्थना-पत्र दिनांक 01.04.2015 को प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 11.05.2015 स्वीकार हो चुका था। रेस्पोडेन्ट की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांट प्रतिवादी का संशोधित अनवान भी प्रस्तुत हो चुका था फिर भी अपीलांट को पक्षकार मुकदमा कायम किये बगैर निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय व डिकी के विरुद्ध प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई जिसमे भी अपीलांट को पक्षकार मुकदमा कायम नहीं कर इस न्यायालय से निर्णय पारित करवाया गया है। विवादित कृषि आराजीयात बाबू खां की है। रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 वादीगण जो सत्तार खां के

राजस्व अपील प्राधिकारी
भिलवाड़ा (राज.)

वारिस है। सत्तार खां के पक्ष मे जो बिकावनामा दिनांक 17.05.1967 पारित किया गया है । सत्तार खां स्वयं ने उक्त आराजीयात के संबंध मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रकरण संख्या 212/1972 इसी आराजीयात के संबंध मे प्रस्तुत किया है। जिसमे उक्त विक्रय पत्र का किसी प्रकार का कोई अंकन नहीं किया गया है। उक्त वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.1976 को निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति मे सत्तार खां का दावा निरस्त हो चुका है तो उनके वारिसान को सत्तार खां की मृत्यु के पश्चात नया वाद लाने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायायल मे निर्णय के पूर्व ही तीन प्रतिवादीगण का स्वर्गवास हो चुका था जिनके कायम मुकाम की कार्यवाही किये बगैर मृतको के विरुद्ध निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अवैधानिक होकर निरस्त योग्य होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण संख्या 6/1 से 6/5 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजीयात बाबू खां ने प्रदर्श 2 से अपने पिता सत्तार खां को दिनांक 17.05.1967 को विक्रय की है जिससे सत्तार खां के वारिसान के नाम दर्ज होनी चाहिए। विवादित कृषि आराजीयात पर खरीद दिनांक से सत्तार खां व सत्तार खां की मृत्यु के पश्चात सत्तार खां के वारिस रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 सत्तार खां के वारिस होकर काबिज काश्त चले आ रहे है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 स्वर्गीय सत्तार खां के वारिस है। बाबू खां की मृत्यु के समय सत्तार खां जीवित थे जिससे मुस्लिम कानून मे सत्तार खां का हिस्सा बनता है। अकेले बुन्दो के नाम नामान्तरण स्वीकृत किया है व वादपत्र के विचाराधीन रहते हुए बुन्दो ने उक्त कृषि आराजीयात को अपीलांट को विक्रय किया है, जिससे सम्पत्ति हस्तांतरण के अधिनियम 1952 के तहत अपीलांट को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रहता है। अपीलांट ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे पक्षकार नहीं होते हुए विवादित आराजीयात क्रय की है जिसको अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे आवेदन प्रस्तुत कर पक्षकार कायम किया गया है। जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारान सत्तार खां के वारिसान होकर मुस्लिम होने व मुस्लिम विधि से गवर्न होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र जो प्रतिप्रेषित आदेश से तनकी संख्या 9 व 10 नये सिरे से कायम की गई व उक्त तनकीयात पर रेस्पोडेन्टगण वादीगण की ओर से पुनः साक्ष्य प्रस्तुत की व उक्त साक्ष्य के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पूर्व की तनकीयात व प्रतिप्रेषित आदेश के पश्चात तनकी

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

संख्या 9 व 10 रेस्पोडेन्टगण वादीगण के पक्ष मे प्रमाणित होना मानते हुए मौजा जावदा तहसील निम्बाहेड़ा की साबिक आराजी संख्या 1189/2 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा जिसके नवीन आराजी संख्या 1917 रकबा 2.22 हैक्टेयर जो अपीलांट के नाम विक्रय पत्र से दर्ज हो चुकी थी, रेस्पोडेन्टगण वादीगण व बुन्दो बेगम व जाहिदा के नाम दर्ज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने लिखित बहस प्रस्तुत कर मुस्लिम विधि पर न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 1990 गुवाहटी पेज-70 प्रस्तुत किया है जो इस प्रकरण से सुसंगत होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित की है, उक्त निर्णय व डिक्री विधि सम्मत होने से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 12 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांट प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की लिखित एवं मौखिक बहस पर गहनता से विधिपूर्ण मनन किया । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त कृषि आराजीयात सन् 1963 से पूर्व बिलानाम सरकार कृषि भूमि दर्ज रही है। उक्त आराजीयात आवंटन से बाबू खां पिता सत्तार खां के नाम नामान्तरण संख्या 106 से दिनांक 20.12.1963 को गैर खातेदारी मे दर्ज की गई। उक्त आराजीयात सन् 1973 मे नामान्तरण स्वीकृत होकर बाबू खां का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उसकी पत्नी बुन्दो बेगम के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी मे दर्ज हुई, तथाकथित विक्रय पत्र स्वर्गीय बाबू खां के द्वारा दिनांक 17.05.1967 को सत्तार खां के पक्ष निष्पादित करना तथाकथित बहनामे मे अंकित किया है। बाबू खां अपने जीवनकाल तक उक्त वर्णित कृषि आराजीयात का गैर खातेदार रहा है व गैर खातेदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-38 के तहत गैर खातेदारी मे दर्ज कृषि आराजीयात को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार नही रहता है। जिससे तथाकथित विक्रय पत्र द्वारा उक्त आराजीयात के गैर खातेदारी मे दर्ज होने के दौरान किया गया हस्तांतरण शुन्य व निष्प्रभावी है। सन् 1973 मे विवादित कृषि आराजीयात बाबू खां की पत्नी बुन्दो बेगम के नाम नामान्तरण स्वीकृत होकर उक्त आराजीयात बुन्दो बेगम के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी मे दर्ज हुई है। तत्पश्चात बुन्दो बेगम को सन् 1973 मे उक्त आराजीयात बुन्दो बेगम के नाम खातेदारी मे दर्ज हुई है। इस प्रकार बुन्दो बेगम को उक्त आराजीयात स्वयं के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी मे दर्ज होने के पश्चात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-41 के अनुसार उक्त खातेदारी मे दर्ज हुई

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

आराजीयात को दीगर को हस्तांतरित करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार था। बुन्दो बेगम ने उक्त खातेदारी मे दर्ज हुई आराजीयात को जरिये पंजीकृत विकय पत्र अपीलांट मोहम्मद करीम को हस्तांतरित की है, जिससे उक्त पंजीकृत विकय पत्र वैध दस्तावेज है । रेस्पोडेन्टगण वादीगण का यह कथन रहा है कि बाबू खां ने उक्त आराजीयात दिनांक 17.05.1967 को अपंजीकृत बहनामे से सत्तार खां को विकय कर दी थी। जिससे गैर खातेदार बाबू खां को स्वयं की गैर खातेदारी मे दर्ज उक्त वर्णित कृषि आराजीयात को किसी भी प्रकार से हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं था। 100 रूपये से अधिक मालियत के बहनामे का सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1982 की धारा-54 के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। इस संबंध मे प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत डी.एन.जे. 2011 एस.सी. पेज-1058 का न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर लागू होता है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत वादपत्र व संशोधित वादपत्र के अभिवचनों मे विरोधाभाषी तथ्य अंकित किये है। प्रस्तुत वादपत्र मे तथाकथित बहनामे के आधार पर घोषणा चाही गई है जबकि संशोधित वादपत्र मे मुस्लिम विधि के अनुसार विरासत के आधार पर घोषणा चाही गई है, परन्तु बुन्दो बेगम को सन् 1973 मे खातेदारी अधिकार प्रोधभुत हुये है। बुन्दो बेगम जो उक्त कृषि आराजीयात की खातेदार है व उक्त कृषि आराजीयात राज्य सरकार से प्राप्त हुई है , ऐसी स्थिति मे रेस्पोडेन्टगण वादीगण का यह कथन कि मुस्लिम विधि के अनुसार रेस्पोडेन्टगण वादीगण उक्त कृषि आराजीयात के खातेदार होते है, स्वीकार योग्य नहीं होकर परस्पर विरोधाभाषी तथ्य है। सत्तार खां ने इसी आराजीयात के संबंध मे वादपत्र कमांक 212/1972 प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 15.04.1976 को अदम हाजरी मे निरस्त हुआ है। उक्त वादपत्र मे सत्तार खां को बाबू खां का वारिस होना बताते हुए दिनांक 04.10.1972 को मुनीर खां के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया है। उक्त वादपत्र मे सत्तार खां ने बाबू खां का वारिस होना बताते हुए इसी आराजीयात के संबंध मे वादपत्र प्रस्तुत किया जिसमे तथाकथित विकय पत्र का कही भी उल्लेख नहीं किया गया है, व श्रीमती बुन्दो बेगम को सन् 1973 मे खातेदारी अधिकार प्राप्त होकर उक्त आराजीयात की खातेदार कायम हुई है। तथाकथित विकय पत्र के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 02.11.2016 को निर्णय व डिकी पारित की है जिसमे भी स्पष्ट किया है कि विवादित कृषि भूमि सत्तार खां की नहीं होकर बाबू खां की आवंटनशुदा है व गैर खातेदारी मे रहते हुए अपंजीकृत विकय पत्र के आधार पर विकय होना बताया गया है। जिससे रेकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध विधिक प्रकिया से प्राप्त स्वत्व अधिकार अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर निरस्त नही किये जा सकते है। उक्त निर्णय व डिकी को निरस्त किया जाकर इस न्यायालय के द्वारा तनकी संख्या 9 व 10 कायम करते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अपीलीय न्यायालय से प्रतिप्रेषित हुआ है। उसके पश्चात

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 09.07.2018 को पुनः वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 24.07.2018 को अपीलांट व अन्य प्रतिवादीगण की बिना प्रोपर तामील के एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर सरदार खां, मोहम्मद फारूख, मोहम्मद हनीफ, अब्दुल लतीफ व कनीराम के शपथ-पत्र लिये जाकर रेस्पोडेन्टगण वादीगण का वादपत्र पुनः निर्णय व डिक्री किया जाना पाया जाता है। तथाकथित बहनामा दिनांक 17.05.1967 जो बाबू खां के द्वारा सत्तार खां के पक्ष मे किया जाना बताया गया है, बाबू खां की मृत्यु के पश्चात् सत्तार खां स्वयं ने बुन्दो बेगम के भाई मुनीर खां के विरूद्ध कब्जेयाबी का वादपत्र प्रस्तुत किया है जिसमे तथाकथित बहनामे का अंकन नहीं किया गया है जिससे तथाकथित बहनामा जो उक्त कृषि आराजीयात बाबू खां के नाम गैर खातेदारी मे रहते हुए निष्पादित होना पाया जाता है जो अपंजीकृत दस्तावेज है, उक्त अपंजीकृत व अवैध दस्तावेज के आधार पर सत्तार खां को उक्त वर्णित कृषि आराजीयात के संबंध मे किसी प्रकार का हक व अधिकार प्रोदभुत नहीं होता है। उक्त अपंजीकृत व अवैध दस्तावेज के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किये है। उक्त अवैध व अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 वादीगण का वादपत्र निर्णय व डिक्री किया जाकर सरदार खां के वारिसान के नाम पर 5/6 हक व हिस्से की घोषणा की गई है। जबकि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादीगण संख्या 1 से 5 भी पक्षकार थे। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे तनकी संख्या 9 व 10 का निर्णय करते हुए तनकी संख्या 1 से 4 रेस्पोडेन्टगण वादीगण के पक्ष मे प्रमाणित होना मानते हुए जो निर्णय व डिक्री पारित की है वह विधि सम्मत व न्यायोचित नहीं होने से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट प्रतिवादी संख्या 7 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा प्रकरण संख्या 480/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2019 निरस्त की जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मौजा जावदा तहसील निम्बाहेड़ा की साबिक आराजी संख्या 1189/2 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा जिसके नवीन आराजी संख्या 1917 रकबा 2.22 हैक्टेयर जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के विवादित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2019 से पूर्व अपीलांट प्रतिवादी संख्या 7 की खातेदारी मे दर्ज रही है जो विवादित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2019 से रेस्पोडेन्ट सरदार खां पिता मुनीर खां के वारिसान व बुन्दो बेगम पत्नी स्वर्गीय बाबू खां व जाहिदा पुत्री बाबू खां के नाम दर्ज की गई हे, जिसे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 7 मोहम्मद करीम के नाम दर्ज किया जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

अपील सं. 07/2020 /डिक्री

① श्री मोहम्मद करीम पिता मोहम्मद रफीक मंसूरी निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलान्ट

बनाम

① श्री वहीद खां पिता सत्तार खां जाति मुसलमान के बजाय —
1/1. अब्दुल हमीद पिता अब्दुल वहीद जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
1/2. आबिद खां पिता अब्दुल वहीद जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
1/3 बीबी पुत्री अब्दुल वहीद पत्नी अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

-रेस्पोडेन्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा .... दि. 28-1-2019.
प्रकरण सं. 480/2018 ...... अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 .... रा.का.अ. 1955
निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 01-09-2022 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री देवीलाल जाट रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा रेस्पो. 1/1, 1/2, 1/3 ; पूरणमल स्वर्णकार राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 12 की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि -

अपील अपीलांट प्रतिवादी संख्या 7 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा प्रकरण संख्या 480/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.1.2019 निरस्त की जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजियात मौजा जावदा तहसील निम्बाहेड़ा की साबिक आराजी संख्या 1189/2 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा जिसके नवीन आराजी संख्या 1917 रकबा 2.22 हैक्टेयर जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के विवादित निर्णय व डिक्री दिनांक 28-1-2019 से पूर्व अपीलांट प्रतिवादी संख्या 7 की खातेदारी में दर्ज रही है। जो विवादित निर्णय व डिक्री दिनांक 28-1-2019 से रेस्पोडेन्ट सत्तार खां पिता मुनीर खां के वारिसान व बुन्दो बेगम पत्नी स्वर्गीय बाबू खां व जाहिदा पुत्री बाबू खां के नाम दर्ज की गई है, जिसे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 7 मोहम्मद करीम के नाम दर्ज किया जावे।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि ......—...... रुपये हैं, ...—...... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ......—...... द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 01-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(हस्ताक्षर)
श्री हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

दिनांक : 01-09-2022

अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	शून्य	4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	शून्य
योग		योग	

P.T.O.